राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :नर्सिंग/फार्मा./नियुक्ति/2011/**576** दिनाँक : **21 जुलाई, 2012**

—: <u>आदेश</u> :—

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा अधिनियम 1965 के तहत फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनाँक 26.11.2011 यथा संशोधित 30.12.2011 एवं 23.02.2012 को विज्ञप्तियां जारी कर 1478 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों पर नियुक्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित की गई। ऑन लाईन परीक्षा के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त बोनस अंकों के आधार पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा दिनाँक 29.06.2012 को परिणाम जारी किया गया।

विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 559—67 दिनाँक 11.07.2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8582/2012 नवीन जैन एवं बनाम राज्य सरकार में होने वाले निर्णय के अध्यधीन 1343 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु चयन सूची जारी की गई।

उपरोक्तानुसार जारी चयन सूची के आधार पर 1343 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8582/2012 नवीन जैन एवं बनाम राज्य सरकार में होने वाले निर्णय के अध्यधीन परिशिष्ठ—"अ" के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

इन अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट के पद की वेतन श्रृंखला 9300—34800 ग्रेड—पे 3200 में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ—11(7)एफ.डी.(रूल्स)/08 दिनांक 12.09.2008 के द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 10,000/— प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रशासनिक अधिकारी के अधीन किया जाता हैं।

परिवीक्षा काल में अन्य सुविधाऐं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि तथा इनमें समय समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। परिवीक्षा काल संतोषजनक होने के उपरान्त ही इन्हे इस पद की नियमित वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ—13(1)/एफ.डी./रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार इन नवनियुक्त फार्मासिस्टों पर अंशदायी पेन्शन योजना परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात लागू होगी।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्डरी/हाईस्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी।

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। इस आशय का 10/—रूपये के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगें, साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र आदि संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थियों का लौटाया जावेगा। अन्य परिस्थितियों में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेगें।

इन अभ्यर्थियों को दिनांक **14 अगस्त 2012** तक संबंधित नियंत्रण अधिकारी, प्रधानचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा।

निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार परिशिष्ठ–"अ"

Sd/-

(बी0के0 दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2012/**576** दिनाँक : **21 जुलाई, 2012**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर।
8. कन्वीनियर फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा–2011 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर।
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपर।
11. निदेशक, (जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
12. महानिदेशक, कारागार राजस्थान, जयपुर।
13. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
15. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
16. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–
17. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
18. समस्त संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रण अधिकारियों (प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक, तकनिकी, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्रों के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से आपके स्वयं के स्तर पर परीक्षण किया जावेगा। प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही

उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इस प्रकिया के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रलेख जारी करने वाली संस्था से कराया जावे। अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें। यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज सत्यापन के पश्चात फर्जी, परिवर्तित, कूटरचित पाया जावे तो उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को दी जावे, ताकि प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर यथोचित निर्देश दिये जा सके। इसके अतिरिक्त विशेषरूप से निम्न समान्य निर्देशों की पालना/दस्तावेजों की जांच गहनता से किया जाना सुनिश्चित करें:—

(A) राजस्थान फार्मेसी कौंसिल द्वारा जारी नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

(B) यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है तो उसका प्रमाण पत्र नॉनक्रिमिलियर का होना अनिवार्य है।

(C) यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग का सदस्य है तो उसका जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिये, जो छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।

(D) यदि कोई महिला अभ्यर्थी विधवा वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (अथवा सपथ पत्र) एवं पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(E) यदि कोई महिला अभ्यर्थी परित्यक्ता वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा विवाह पंजीयन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(F) यदि कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा सेना से डिसचार्ज सर्टिफिकेट एवं संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(G) यदि कोई अभ्यर्थी विकलांग वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा केवल वन लैग(ओ.एल.) कैटेगिरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(H) उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी की Eligibility के संबंध में पूर्ण आश्वस्त होने के उपरान्त ही उसे कार्यग्रहण करवाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी की Eligibility के संबंध में कोई संदेह हो तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

19. रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर।
20. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को भेज कर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करें।
21. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर